Annexure – 13

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1381] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2006/कार्तिक 25, 1928
No. 1381] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2006/KARTIKA 25, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2006

का.आ. 1978(अ).— विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मै0 डीएलएफ इंफो सिटी डेवलपर्स (चेन्नई) लि. को सूचना प्रौद्योगिकी और/या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 22 जून, 2006 को अनुमोदन-पत्र प्रदान किए जाने के उपरांत, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत दी गई अपेक्षाओं और अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य के मनकप्पम तथा मुग्गलीवक्कम गॉव, श्री पेरम्बुदूर ताल्लुक, कावेलीपुरम जिले में निम्नलिखित 13.2923 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में दी गई सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थातः

तालिका

| क्र. सं. | गाँव का नाम | सर्वेक्षण सं. | क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) |
|---|---|---|---|
| 1. | मनपक्कम | (1) 55 | 0.07500 |
| | | (2) 57 | 0.10445 |
| | | (3) 58/1 | 2.14575 |
| | | (4)58/2 | 0.00648 |
| | | (5)58/3 | 0.33704 |
| 2. | मुग्लीवक्कम | (1) 58/5 | 0.3650 |
| | | (2) 58/2 बी | 0.3050 |
| | | (3)58/2 ए | 0.2550 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| | | (4)58/6 बी | 0.3400 |
| | | (5)57/14 | 0.1039 |
| | | (6)58/6 ए | 0.1100 |
| | | (7)57/5 सी | 0.0600 |
| | | (8 )57/2 | 0.3050 |
| | | (9)57/7 बी | 0.0037 |
| | | (10)57/4 | 0.3350 |
| | | (11)57/6 | 0.0290 |
| | | (12)57/5 ए | 0.0600 |
| | | (13)57/5 बी | 0.0600 |
| | | (14)58/3 | 0.3400 |
| | | (15)58/4 | 0.3450 |
| | | (16)59/2 | 0.2350 |
| | | (17)59/3 ए2ए | 0.0600 |
| | | (18)61/3 बी | 0.1050 |
| | | (19)61/3 सी | 0.0250 |
| | | (20)55/6 ए1 | 0.6397 |
| | | (21)59/3 ए3 | 0.4050 |
| | | (22)59/3 ए4 | 0. 4050 |
| | | (23)59/3 ए2बी | 0.3168 |
| | | (24)59/3 ए2 | 0.9450 |
| | | (25)57/15 ए | 0.2450 |
| | | (26)58/7 बी2 | 0.0300 |
| | | (27)58/8 | 0.0960 |
| | | (28)57/15 बी | 0.4054 |
| | | (29)58/7 ए1 | 0.0600 |
| | | (30)58/7 बी1 | 0.0300 |
| | | (31)56/2 बी2 | 0.0850 |
| | | (32)56/2 सी | 0.3011 |
| | | (33)59/3 ए1 | 0.4050 |
| | | (34)58/9 | 0.0575 |
| | | (35)59/1 | 0.0636 |
| | | (36)59/3 बी | 0.5271 |
| | | (37)60/2 | 0.8950 |
| | | (38)60/1 ए | 0.0250 |
| | | (39)60/1 बी | 0.0150 |
| | | (40)60/1डी | 0.5700 |
| | | (41)60/1ई | 0.3150 |
| | | (42)60/1एफ | 0.3450 |
| | | कुल | 13.2923 हेक्टेयर |

[फा. सं. एफ. 2/124/2006-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2006

S.O. 1978(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006 and after the grant of the letter of approval on the 22nd June, 2006 under sub section (10) of section 3 to M/s. DLF Info City Developers (Chennai) Limited for setting up of a Special Economic Zone for information technology and/or information technology enabled services, the Central Government, on being satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled, hereby notifies the following area of 13.2923 hectares at Manapakkam and Muglivakkam villages, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu, comprising of the survey numbers and area given in the table below , as Special Economic Zone, namely:-

TABLE

| Serial Number | Name of the Village | Survey Number | Area (in hectares) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Manapakkam | (1) 55 | 0.07500 |
| | | (2) 57 | 0.10445 |
| | | (3) 58/1 | 2.14575 |
| | | (4) 58/2 | 0.00648 |
| | | (5) 58/3 | 0.33704 |
| 2. | Muglivakkam | (1) 58/5 | 0.3650 |
| | | (2) 58/2B | 0.3050 |
| | | (3) 58/2A | 0.2550 |
| | | (4) 58/6B | 0.3400 |
| | | (5) 57/14 | 0.1039 |
| | | (6) 58/6A | 0.1100 |
| | | (7) 57/5C | 0.0600 |
| | | (8) 57/2 | 0.3050 |
| | | (9) 57/7B | 0.0037 |
| | | (10) 57/4 | 0.3350 |
| | | (11) 57/6 | 0.0290 |
| | | (12) 57/5A | 0.0600 |
| | | (13) 57/5B | 0.0600 |
| | | (14) 58/3 | 0.3400 |
| | | (15) 58/4 | 0.3450 |
| | | (16) 59/2 | 0.2350 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| | | (17)59/3A2A | 0.0600 |
| | | (18) 61/3B | 0.1050 |
| | | (19) 61/3C | 0.0250 |
| | | (20) 55/6A1 | 0.6397 |
| | | (21) 59/3A3 | 0.4050 |
| | | (22) 59/3A4 | 0. 4050 |
| | | (23)59/3A2B | 0.3168 |
| | | (24)59/3A2C | 0.9450 |
| | | (25) 57/15A | 0.2450 |
| | | (26) 58/7B2 | 0.0300 |
| | | (27) 58/8 | 0.0960 |
| | | (28) 57/15B | 0.4054 |
| | | (29) 58/7A1 | 0.0600 |
| | | (30) 58/7B1 | 0.0300 |
| | | (31) 56/2B2 | 0.0850 |
| | | (32) 56/2C | 0.3011 |
| | | (33) 59/3A1 | 0.4050 |
| | | (34) 58/9 | 0.0575 |
| | | (35) 59/1 | 0.0636 |
| | | (36) 59/3B | 0.5271 |
| | | (37) 60/2 | 0.8950 |
| | | (38) 60/1A | 0.0250 |
| | | (39) 60/1B | 0.0150 |
| | | (40) 60/1D | 0.5700 |
| | | (41) 60/1E | 0.3150 |
| | | (42) 60/1F | 0.3450 |
| | | Total | 13.2923 hectares |

[F. No. F. 2/124/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2007/फाल्गुन 28, 1928
No. 289] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2007/PHALGUNA 28, 1928

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2007

का.आ. 395(अ).—यतः मैसर्स डी एल एफ लिमिटेड ने हरियाणा राज्य में ग्राम सीलोखेड़ा, तहसील व जिला गुड़गांव में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अंतर्गत उक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित एवं प्रचालित करने के लिए दिनांक 19 जून, 2006 को अनुमोदन पत्र प्रदान करने के बाद विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य के ग्राम सीलोखेड़ा, तहसील व जिला गुड़गांव में 12.06 हैक्टेयर के कुल क्षेत्र को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 2070(अ) में विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित कर दिया है;

और यतः मैसर्स डी एल एफ लिमिटेड ने 12.06 हेक्टेयर के उक्त अधिसूचित क्षेत्र में 2.91 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः उक्त विशेष आर्थिक जोन के क्षेत्र को 12.06 हेक्टेयर से बढ़ा कर 14.97 हेक्टेयर करने के उक्त प्रस्ताव को दिनांक 2 फरवरी, 2007 को अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

अतः, अब, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा हरियाणा राज्य में ग्राम सीलोखेड़ा, तहसील व जिला गुड़गांव स्थित 2.91 हेक्टेयर के निम्नलिखित अतिरिक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल करने हेतु अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

| क्र.सं. | रेक्ट सं. | सर्वेक्षण सं. | क्षेत्र (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 33 | (1) 6/1 | 0.2024 |
| | | (2) 6/2 | 0.2024 |
| | | (3) 15 | 0.4049 |
| | | (4) 16/1 | 0.0430 |
| | | (5) 16/2 | 0.3619 |
| | | (6) 25 न्यूनतम | 0.1670 |
| 2. | 14 | (1) 20/3 | 0.3214 |
| | | (2) 21/1 | 0.3542 |
| | | (3) 26 | 0.0532 |
| 3. | 27 | (1) 1/1 | 0.3947 |
| | | (2) 10 | 0.4049 |
| | | कुल | 2.91 |

[फा. सं. एफ. 2/137/2005-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2007

S.O. 395(E).—Whereas M/s. DLF Limited had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereinafter referred to as the Act, to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at village Silokhera, Tehsil and District Gurgaon in the State of Haryana;

And whereas the Central Government, after the grant of the letter of approval under Sub-section (10) of Section 3 of the said Act on 19th June, 2006, for the development and the operation of the said sector Specific Economic Zone, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Act and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified the total area of 12.06 hectares at village Silokhera, Tehsil and District Gurgaon in the State of Haryana as Special Economic Zone in the notification of the Ministry of Commerce and Industry, number S. O. 2070(E), dated 6th December, 2006;

And whereas M/s. DLF Limited has proposed an additional area of 2.91 hectares to be included in the said notified area of 12.06 hectares as a part of that Special Economic Zone;

And whereas the said proposal for increasing the area of that Special Economic Zone from 12.06 hectares of land to 14.97 hectares has been approved by the Board of Approval on 2nd February, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to Sub-section (1) of Section 4 of the Act and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 2.91 hectares at village Silokhera, Tehsil and District Gurgaon in the State of Haryana, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, to be included as a part of that Special Economic Zone, namely :—

**TABLE**

| Sl. No. | Rect. No. | Survey No. | Area (in hectares) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 13 | (1) 6/1 | 0.2024 |
| | | (2) 6/2 | 0.2024 |
| | | (3) 15 | 0.4049 |
| | | (4) 16/1 | 0.0430 |
| | | (5) 16/2 | 0.3619 |
| | | (6) 25 min | 0.1670 |
| 2. | 14 | (1) 20/3 | 0.3214 |
| | | (2) 21/1 | 0.3542 |
| | | (3) 26 | 0.0532 |
| 3. | 27 | (1) 1/1 | 0.3947 |
| | | (2) 10 | 0.4049 |
| | | TOTAL | 2.91 |

[F. No. F. 2/137/2005-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2007

का.आ. 396(अ).—यत: मैसर्स डी एल एफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चेन्नै) ने राज्य में ग्राम मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम्, श्रीपेरूम्बदूर तालुक, जिला कांचीपुरम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत: केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत उक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास एवं प्रचालन हेतु दिनांक 22 जून, 2006 को अनुमोदन प्रदान करने के बाद तमिलनाडु राज्य के ग्राम मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम्, श्रीपेरूम्बदूर तालुक, जिला कांचीपुरम में 13.2923 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 16 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1978(अ) में विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और यत: मैसर्स डी एल एफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चेन्नै) ने तमिलनाडु राज्य के ग्राम मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम् 13.2923 हेक्टेयर के उक्त अधिसूचित क्षेत्र में 3.4384 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

और, यत:, उक्त विशेष आर्थिक जोन के क्षेत्र में वृद्धि के लिए उक्त प्रस्ताव दिनांक 2 फरवरी, 2007 को अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है;

अत:, अब, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य के ग्राम मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम्, श्रीपेरूम्बदूर तालुक, जिला कांचीपुरम में 3.4384 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल करने हेतु अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं; अर्थात् :–

तालिका

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | सर्वेक्षण सं. | क्षेत्र (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मनपक्कम | (1) 58/1 | 1.2435 |
| | | (2) 58/2 | 0.1889 |
| | | (3) 58/3 | 0.249 |
| 2. | मुगलीवक्कम | (1) 58/7 बी2 | 0.02 |
| | | (2) 58/8 | 0.07 |
| | | (3) 58/9 | 0.072 |
| | | (4) 58/10 | 0.081 |
| | | (5) 59/1 | 0.487 |
| | | (6) 59/3 बी | 0.06 |
| | | (7) 56/2 सी | 0.10 |
| | | (8) 56/2 ई | 0.028 |
| | | (9) 56/2 एफ | 0.028 |
| | | (10) 56/2 जी | 0.049 |
| | | (11) 56/3 | 0.021 |
| | | (12) 56/4 | 0.032 |
| | | (13) 57/6 | 0.012 |
| | | (14) 57/7 बी | 0.089 |
| | | (15) 57/10 बी | 0.089 |
| | | (16) 57/13 | 0.04 |
| | | (17) 57/14 | 0.074 |
| | | (18) 57/15 ए | 0.313 |
| | | (19) 57/15 बी | 0.089 |
| | | (20) 59/3 ए2बी | 0.003 |
| | | कुल | 3.4384 |

[फा. सं. एफ. 2/124/2005-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2007

**S.O. 396(E).**—Whereas M/s. DLF Info City Developers (Chennai) Limited had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereinafter referred to as the Act, to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Manapakkam and Muglivakkam villages, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the Central Government, after the grant of letter of approval under Sub-section (10) of Section 3 of the Act for the development and operation of the said sector specific Special Economic Zone, on 22nd June, 2006, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified the total area of 13.2923 hectares at Manapakkam and Muglivakkam villages, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu as Special Economic Zone in the notification of the Ministry of Commerce and Industry number S.O. 1978(E) dated 16th November, 2006;

And whereas M/s. DLF Info City Developers (Chennai) Limited has proposed including of an additional area of 3.4384 hectares at Manapakkam and Muglivakkam villages, in the said notified area of 13.2923 hectares as a part of that Special Economic Zone;

And whereas the said proposal for increasing the area of the said Special Economic Zone has been approved by the Board of Approval on 2nd February, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to Sub-section (1) of Section 4 of the Act and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 3.4384 hectares at Manapakkam and Muglivakkam villages, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, to be included as a part of that Special Economic Zone, namely :—

TABLE

| Sl. No. | Name of Village | Survey No. | Area (in hectares) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Manapakkam | (1) 58/1 | 1.2435 |
| | | (2) 58/2 | 0.1889 |
| | | (3) 58/3 | 0.249 |
| 2. | Mugalivakkam | (1) 58/7B2 | 0.02 |
| | | (2) 58/8 | 0.07 |
| | | (3) 58/9 | 0.072 |
| | | (4) 58/10 | 0.081 |
| | | (5) 59/1 | 0.487 |
| | | (6) 59/3B | 0.06 |
| | | (7) 56/2C | 0.10 |
| | | (8) 56/2E | 0.028 |
| | | (9) 56/2F | 0.028 |
| | | (10) 56/2G | 0.049 |
| | | (11) 56/3 | 0.021 |
| | | (12) 56/4 | 0.032 |
| | | (13) 57/6 | 0.012 |
| | | (14) 57/7B | 0.089 |
| | | (15) 57/10B | 0.089 |
| | | (16) 57/13 | 0.04 |
| | | (17) 57/14 | 0.074 |
| | | (18) 57/15A | 0.313 |
| | | (19) 57/15B | 0.089 |
| | | (20) 59/3A2B | 0.003 |
| | | TOTAL | 3.4384 |

[F.No. F.2/124/2005-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1700] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2008/अग्रहायण 11, 1930

No. 1700] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2008/AGRAHAYANA 11, 1930

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2008

**का.आ. 2833(अ).**—यत:, मै. डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य के मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम ग्राम, श्री पेरूम्बुदूर तालुक, कांचीपुरम जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 16 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1978 (अ) में तमिलनाडु राज्य के मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम ग्राम, श्री पेरूम्बुदूर तालुक, कांचीपुरम जिले में विशेष आर्थिक जोन के रूप में 13.2923 हेक्टेयर का कुल क्षेत्र अधिसूचित किया है और तदुपरांत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 19 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 396(अ) में तमिलनाडु राज्य के उपर्युक्त ग्रामों में 3.4384 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया;

और, यत:, मै. डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में किट्टमपालयम तथा करूमाथमपट्टी ग्राम, पल्लदम तालुक, कोयंबतूर जिले में 0.69.83 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र के एक हिस्से को उसे विशेष आर्थिक जोन के एक हिस्से के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

और यत:, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम ग्राम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिक समर्थित सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, एवं प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 22 सितम्बर, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदन प्रदान कर दिया है;

अत:, अब, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य में मुगलीवक्कम ग्राम, श्री पेरूम्बुदूर तालुक, कांचीपुरम जिले में 0.69.83 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के एक हिस्से के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

| क्र. सं. | गांव का नाम | खसरा सं. | क्षेत्र (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|
| 1. | मनपक्कम | 73/1ए2 | 0.62.95 |
| 2. | मुगलीवक्कम | 73/32 | 0.06.88 |
| | | कुल | 0.69.83 |

[फा. सं. 2/124/2005–ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd December, 2008

**S.O. 2833(E).**—Whereas M/s. DLF Info City Developers (Chennai) Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Manapakkam and Mugalivakkam Villages, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, has notified a total area of 13.2923 hectares at Manapakkam and Mugalivakkam Villages, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu as Special Economic Zone in the Ministry of Commerce and Industry Notification No. S.O. 1978 (E), dated 16th November, 2006 and subsequently notified an additional area of 3.4384 hectares at above said villages in the State of Tamil Nadu as Special Economic Zone in the Ministry of Commerce and Industry Notification No. S.O. 396 (E), dated 19th March, 2007;

And whereas M/s. DLF Info City Developers (Chennai) Limited has proposed to include a part of additional area of 0.69.83 hectares at Kittampalayam and Karumathampatti Village, Palladam Taluk, Coimbatore District in the State of Tamil Nadu as a part of that Special Economic Zone;

And whereas the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the Act and other related requirements are fulfilled and it has granted approval in the Board of Approval meeting held on 22nd September, 2008 under sub-section (10) of Section 3 of the Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at the said Manapakkam and Mugalivakkam Villages;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Act and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies as additional area of 0.69.83 hectares at Mugalivakkam Village, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, to be included as a part of that Special Economic Zone, namely :—

**TABLE**

| Sl. No. | Name of the Village | Khasra No. | Area (in Hectares) |
|---|---|---|---|
| 1. | Manapakkam | 73/1A2 | 0.62.95 |
| 2. | Mugalivakkam | 73/32 | 0.06.88 |
| | | Total | 0.69.83 |

[F. No. 2/124/2005-EPZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2009/फाल्गुन 1, 1930

No. 333] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2009/PHALGUNA 1, 1930

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2009

का.आ. 528(अ).—विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 की उप, धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2833(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है और मै. डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा विकसित, ग्राम मुगलीवक्कम, श्री पेरूम्बुदूर तालुक जिला कांचीपुरम तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा संबंधी क्षेत्र हेतु विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए 0.69.83 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित करती है; अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में :—

(i) पैरा 3 में उल्लिखित गाँव का नाम अर्थात ग्राम किट्टमपलायम तथा करूमाथमपट्टी, पल्लाडम तालुक, जिला कोयम्बटूर को ग्राम मुगलीवक्कम, श्रीपेरूम्बुदूर तालुक, कांचीपुरम पढ़ा जाए ।

(ii) पैरा 4 में उल्लिखित गाँव का नाम अर्थात ग्राम मनपक्कम एवं मुगलीवक्कम को ग्राम मुगलीवक्कम पढ़ा जाए ।

(iii) तालिका में क्र. सं. 1 में उल्लिखित गाँव का नाम अर्थात् मनपक्कम को मुगलीवक्कम पढ़ा जाए ।

[फा. सं. 2/124/2005-ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2009

S.O. 528(E).—The Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby makes the following amendment in the notification of the Ministry of Commerce and Industry, (Department of Commerce), number S.O. 2833(E), dated 2nd December, 2008, notifying the additional area of 0.69.83 hectares at Mugalivakkam Village, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, Tamil Nadu for setting up of Special Economic Zone for IT/ITES sector, developed by M/s. DLF Info City Developers (Chennai) Ltd. namely :—

In the said notification :—

(i) the name of the village mentioned in paragraph 3rd i.e. Kittampalayam and Karumathampatti Village, Palladam Taluk, Coimbatore District to be read as Mugalivakkam Village, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District.

(ii) The name of the village mentioned in paragraph 4th i.e. Manapakkam and Mugalivakkam Villages to be read as Mugalivakkam Village.

(iii) The name of the village mentioned in Sl. No. 1 in the table i.e. Manapakkam to be read as Mugalivakkam.

[F. No. 2/124/2005-EPZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

691 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122023-250652
CG-DL-E-14122023-250652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5091] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2023/अग्रहायण 22, 1945
No. 5091] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2023/AGRAHAYANA 22, 1945

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

## (वाणिज्य विभाग)

## (एसईजेड अनुभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2023

**का.आ. 5320(अ).**—यतः, मै. डीएलएफ इन्फो सिटी चेन्नई लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड और मेसर्स डीएलएफ इन्फो सिटी चेन्नई लिमिटेड), ने तमिलनाडु राज्य में रामपुरम, चेन्नई जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था;

| क्रम. सं. | अधिसूचना संख्या | अधिसूचना दिनांक | अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|
| (i) | का.आ.1978(अ) | 16.11.2006 | 13.2923 | 13.2923 |
| (ii) | का.आ.396(अ) | 19.03.2007 | 3.4384 | 16.7307 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (iii) | का.आ.2833(अ) संशोधन का.आ.528(अ) के साथ पढ़ें | 02.12.2008, 20.02.2009 | 0.6983 | **17.4290** |

और यतः, मै. डीएलएफ इन्फो सिटी चेन्नई लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 1.7782 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः तमिलनाडु राज्य सरकार ने उनके पत्र सं. 4312377/एमआईबी.1/2023-2 दिनांक 4 जुलाई, 2023 के प्रत्र के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनधिसूचना के बाद ऐसे भूमि पार्सल का उपयोग तमिलनाडु सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान के अनुरूप होगा;

और यतः विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 1.7782 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 1.7782 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 15.6508 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

**अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका**

| **क्रम. सं.** | गावं का नाम | **सर्वे नम्बर** | **क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)** |
|---|---|---|---|
| 1. | मनपक्कम | 58/1 | 0.7156 |
| 2. | | 58/2 | 0.0490 |
| 3. | | 58/3 | 0.0450 |
| 4. | मुगलिवक्कम | 60/2 | 0.1216 |
| 5. | | 60/1एफ | 0.0753 |
| 6. | | 60/1डी | 0.0734 |
| 7. | | 73/1ए2 | 0.6295 |
| 8. | | 73/32 | 0.0688 |
| **कुल** | | | **1.7782** |
| **उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल** | | | **15.6508** |

[फा. सं. एफ.2/124/2005-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(SEZ DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th December, 2023

**S.O. 5320(E).**—Whereas, M/s. DLF Info City Chennai Limited (formerly M/s. DLF Home Developers Limited and M/s. DLF Info City Chennai Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for

Information Technology and Information Technology Enabled Services at IT/ITES SEZ at Ramapuram, Chennai in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table: -

| Sl. No. | Notification No. | Notification Date | Notified Area (in Hectares) | Total Area (in Hectares) |
|---|---|---|---|---|
| (i) | S.O.1978(E) | 16.11.2006 | 13.2923 | 13.2923 |
| (ii) | S.O.396(E) | 19.03.2007 | 3.4384 | 16.7307 |
| (iii) | S.O.2833(E) read with Corrigendum S.O.528(E) | 02.12.2008, 20.02.2009 | 0.6983 | **17.4290** |

AND, WHEREAS, M/s. DLF Info City Chennai Limited has now proposed for de-notification of 1.7782 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No.4312377/MIB.1/2023-2 dated 4th July, 2023. Further, Such land parcels after de-notification will conform to land use guidelines/master plans of the Government of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Madras Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.7782 hectares of the Special Economic Zone.

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 1.7782 hectares**, thereby making resultant area as **15.6508 hectares**. The survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely:-

**TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA**

| S. N. | Name of Village | Survey No. | Area in hectares |
|---|---|---|---|
| 1. | Manapakkam | 58/1 | 0.7156 |
| 2. | | 58/2 | 0.0490 |
| 3. | | 58/3 | 0.0450 |
| 4. | Mugalivakkam | 60/2 | 0.1216 |
| 5. | | 60/1F | 0.0753 |
| 6. | | 60/1D | 0.0734 |
| 7. | | 73/1A2 | 0.6295 |
| 8. | | 73/32 | 0.0688 |
| **Total** | | | **1.7782** |
| **Grand total area of SEZ after above deletion** | | | **15.6508** |

[F. No. F.2/124/2005-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA